न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

म0प्र0

[redacted]

कंधईया आत्मज दुर्जन अहीर सा0 पिढौर तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0

.... आवेदक

बनाम

1. शासन म0प्र0 द्वारा कलेक्टर महोदय उमरिया
2. खज्जू आत्मज सहईया काछी सा0 पड़वार
3. भूरा आत्मज सहईया काछी सा0 पड़वार दोनो तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0

.... अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश कलेक्टर उमरिया के प्रकरण क्र0 5/स्व पुनः 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2017 जिसके तहत क्षेत्राधिकारी न होना मान्य कर स्वमेव पुनरीक्षण निरस्त किया है।

मान्यवर,

आवेदक विनम्र निवेदन करता है कि आवेदक के द्वारा आराजी खसरा नं. 214 रकवा 3.12 एकड़ स्थित ग्राम पिटौर में आवेदक रीवा राज्य शासन काल धान गेहूँ आदि की फसल बोकर सतत् काबिज चला आ रहा है वर्ष 2016 में कार्तिक माह में अनावेदक क्र0 02, 03 पट्टा बनवा बिना बताये और भूमि पर कब्जा करने का विवाद किया जिससे रिकार्ड निकालकर आवेदक ने कलेक्टर उमरिया को लिखित सूचना दिया जिस पर से स्वमेव निगरानी की सूचना मानकर ग्राहता पर विचार कर स्वमेव निगरानी में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा कर सुनवाई प्रांरभ, किया जाने पर अनावेदक क्र0 02, 03 के द्वारा आधारहीन आपत्ति किये जाने पर आवेदक की ओर से जवाब दिया जाकर अवैध आदेश का आधार लेकर आपत्ति की गई सूचना दिये जाने पर स्वमेव पुनरीक्षण होने विचारण किया जा सकता है साथ ही तर्क दिया गया कि यदि पुनरीक्षण स्वमेव अमान्य की जाती है तो आवेदक को सक्षम न्यायालय में

(9)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R5142-II/17 जिला–उमरिया

कन्हइया अहिर/ शासन, खज्जू काछी

(1)	(2)	(3)
5.8.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जे0पी0 मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 05/स्व0 पुनः/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	